

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (राजस्थान)

क्रमांक : 3420-3432

दिनांक : 06/07/2024

-: कार्यालय आदेश :-

में दुडाराम खोकर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटा, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15(2) व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 3373-3417 दिनांक 05.07.2024 में प्रशासनिक कारणों से आंशिक परिवर्तन करते हुए दिनांक 07.07.2024 तथा 21.07.2024 के राजपत्रित अवकाशों के दिन कोटा शहर तथा कोटा ग्रामीण की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात् में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई के लिये रिमाण्ड ड्यूटी हेतु निम्नांकित अधिकारीगण को निम्न प्रकार से अधिकृत करता हूँ :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	दिनांक
01	कनिष्का ऋषि MB: 8619390766	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 (दक्षिण), कोटा	07.07.2024 के स्थान पर 21.07.2024 के लिए
02	श्रीमती मिति श्रीवास्तव MB: 9479376601	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट) क्रम-2 कोटा	21.07.2024 के स्थान पर 07.07.2024 के लिए

नोट:-

- सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से दोपहर 1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम. तक एवं प्रातःकालीन न्यायालय समय में 9.00 ए.एम. से 11.00 ए.एम. तक न्यायालय परिसर, कोटा में अपने न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
- उक्त रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से कोटा पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के कोटा प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 06/पीआई/2008 दिनांक 29.07.08 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी भी उक्त अधिकारीगण करेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)

क्रमांक: 3420-3432 दिनांक: 06/7/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटा
- संबंधित अधिकारी श्री/श्रीमती
- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-1, कोटा (लिक अधिकारी)
- पुलिस अधीक्षक कोटा शहर/कोटा ग्रामीण वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
- सहायक निदेशक, अभियोजन कोटा को इस लेख के साथ कि संबंधित दिनांक को न्यायालय में अभियोजन अधिकारी को उपस्थित रहने हेतु निर्देश जारी करें।
- अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर, कोटा
- जूनियर लिपिक/सहायक नाजिर जिला न्यायालय, कोटा
- नॉडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कम्प्यूटर कमेटी, कोटा
- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय कोटा
- आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)